

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

// विज्ञापन //

ज्ञापन क्रमांक / स्था. / अ-1-ब(1) / सी.भ.-05-2023 / रायपुर दिनांक / / 2023


छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक /एफ-3-14 /2023 / 14-1 नवा रायपुर, दिनांक 14/09/2023 द्वारा कृषि विभाग के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के 305 रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के आधार पर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन छत्तीसगढ़ के मूल /स्थानीय निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :—

1) पदों का विवरण :—

पदनाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30%					(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल पदों में से विकलांग के श्रेणी के लिए 7%		(द) विकलांग श्रेणी के लिए वैकलांग के पद					(इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%	महायोग
	UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	107	30	95	25	257	32	9	29	8	77	18	48	11	3	10	3	26	305	19

महत्वपूर्ण टीप —

- पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- छत्तीसगढ़ के मूल /स्थानीय निवासी दिव्यांगजन, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी विवाद अथवा शंका होने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपरिथित होकर दिव्यांगता श्रेणी के संबंध में आवश्यक परीक्षण करावें तथा राज्य मेडिकल बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- छत्तीसगढ़ के मूल /स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लेंगे कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा



उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. उपरोक्त पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय), सेवा भर्ती नियम, 2010 के अध्याधीन होगी।

2) शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान का पदवार विवरण :-

क्र.	पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान
1	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी /जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री टिप्पणी—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी.(कृषि)/बी.एस.सी. (उद्यानिकी)/बी.टेक(कृषि अभियांत्रिकी) की डिग्री। वेतनमान:-वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते।

महत्वपूर्ण टीप –

- (i) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा उपरांत परिणाम घोषित करने की तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि/अंतःकालीन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण (सामान्यतः हाईस्कूल/मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। परिणाम घोषित होने की तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है।
- (iii) प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी के साथ उपरिथित होना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपरिथित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (iv) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गयी है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
- 3) **परिवीक्षा अवधि :-** छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन का वित्त निर्देश 33/2023 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.5 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के प्रकरणों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा।

4) पदों हेतु आरक्षण :-

- (i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (ii) राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम/निर्देश लागू होंगे।
- (iii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट का लाभ (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।
- (iv) **निःशक्तजन:-** निःशक्तता से बाधित केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण-पत्र (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया के साथ) चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति के समय दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थीयों द्वारा दिव्यांगता के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (स्वयं) प्रस्तुत किया जावेगा।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के ज्ञाप पत्र क्रमांक/एफ-13-4/2019/आ.प्रा./1-3 रायपुर दिनांक 05.03.2019 में दिव्यांगजनों के लिए जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद हेतु निर्धारित निःशक्तजन श्रेणी –

क्र.	पदनाम	निःशक्तजन का श्रेणी
1	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	OA, OL, LV, HH

टीप – OA - One Arm, OL - One Leg, HH - Hearing Impaired, LV - Low Vision

5) विभागीय भर्ती नियम अनुसार आयु सीमा :-

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद के लिये न्यूनतम-21 वर्ष, अधिकतम-30 वर्ष (छ.ग. के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष)

नोट :- आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी।

अन्य शर्तें :-

- (i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमी लेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iii) उन अभ्यर्थियों के लिए जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कंटीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा अड़तीस वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञातः किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:— शब्द “छटनी किए गए शासकीय सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवाओं की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vi) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सर्वांग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(vii) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(viii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्ट्री होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ix) उपरोक्त किसी एक या एक अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(xi) आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जाएगी।

6) जाति प्रमाण पत्र :-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रिमिलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रिमिलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2021–22 तथा 2020–21) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो।
- (iv) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अध्याधीन) को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/ उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आनलाईन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त कर चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते तथा संबंधित संरक्षा द्वारा उन्हें भारमुक्त नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

8) अनर्हता :-छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी-

- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी।


परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।



- (ii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वारथ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वरथ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाय।
परंतु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वारथ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वारथ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाय, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाय।
- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

अनर्हता की अन्य शर्तें :-

- (i) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 9) चयन प्रक्रिया :-
- (i) चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ii) व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार की जावेगी।
- (iii) आवेदन पत्र, विज्ञापित संवर्ग हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, आनलाईन आवेदन की विधि आदि के विस्तृत निर्देश व्यापम की वेबसाईट <http://vyapam.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- (iv) अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया: संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।



- (v) प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा चयन के किसी भी स्तर पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 10) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिन्दु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।
- 11) चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।
- 12) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवायें समाप्त की जा सकती है।
- 13) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिये है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जा सकेगी।
- 14) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप पत्र क्रमांक एफ-4-1/2014/1-3 दिनांक 03/06/2015 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 1-3 के परिपेक्ष्य में प्रथम नियुक्ति के समय अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र के दुर्गम जिला/विकासखंड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।
- 15) इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अपर संचालक कृषि (स्था.)

संचालनालय कृषि

इंद्रावती भवन द्वितीय तल,

छ.ग. रायपुर